संख्या-187/2019/3452/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 13 अगस्त 2019

विषय:- **रिट याचिका संख्या-2008/एम0एस0/2016 रंजन सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-09.02.2016 के अनुपालन न होने पर योजित अवमाननावाद संख्या-1076/2016 रंजन सिंह बनाम श्री मार्कन्डेय शाही तत्कालीन निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-25.07.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-1550-51/स0क0/शिक्षा-अ/ कोड-2/63/स0वर्ग/2019-20, दिनांक-31.07.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त याची छात्र श्री रंजन सिंह की वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि **रू0-40,000/- (रू0-चालीस हजार मात्र)** के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-187/2019/3452 (1)/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in